<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 595 / 2023
देसरी (सहदेई ओ0पी0) कांड संख्या 77 / 2023

दिनांक 26.05.2025 / 14.07.2025 कार्यालय से आज अभिलेख प्रस्तुत किया गया। एक मात्र अभियुक्त की ओर से समयावेदन दाखिल किया गया, जिसे आज भी के लिए स्वीकृत किया गया। दिनांक 22.04.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था।

'एक मात्र अभियुक्त की ओर से हाजिरी दी गयी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र एवं सूचक जलेश्वर राय का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया जिसे अभिलेख पर रखा जाता है और इसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गयी है। वाद पुकार पर संबंधित पक्ष उपस्थित है। साक्षी अनुपस्थित है। **कार्यालय डॉक्टर शशिधर कुमार (मो0 नम्बर 9939665003) सदर अस्पताल हाजीपुर एवं पु0अ0नि0 अभिषेक कुमार त्रिपाठी, देसरी थाना(सहदेई ओ0पी0) के विरूद्ध सम्मन निर्गत करें।** कार्यालय इस आदेश फलक की एक प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली तथा अधीक्षक सदर अस्पताल हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। अभियोजन को आगाह किया जाता है कि वे तत्काल उपरोक्त वर्णित साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया जायेगा, क्योंकि अभी तक प्रस्तुत तीनों साक्षी पक्षद्रोही घोषित किये गये है तथा सूचक जलेश्वर राय पिता स्व0 कमल राय साकिन वाजितपुर चककस्तुरी, थाना सहदेई बुजूर्ग वैशाली की मृत्यु दिनांक 15.05.2024 को होने का शपथ पत्र उनकी पतोहु ललिता देवी द्वारा विद्वान अधिवक्ता अशफाक अहमद द्वारा दाखिल किया गया है। संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह इस संबंध में एक प्रतिवेदन न्यायालय में दाखिल करे। **कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष को सम्मन द्वारा उक्त प्रतिवेदन न्यायालय में लेकर सदेह उपस्थित रहने के संबंध में निर्गत करे।**

दिनांक 26.052025 को साक्ष्य हेतु।'

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अभियोजन द्वारा डॉक्टर शशिधर कुमार को आज प्रस्तुत किया गया है, उनका मुख्यपरीक्षण के दौरान पोस्टमार्टम को प्रदर्श पी–1 / पी0डब्ल्यु –4 अंकित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के बाद साक्षी को उन्मुक्त किया गया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष देसरी द्वारा अभी तक सूचक जलेश्वर राय के संबंध में न्यायालय द्वारा सम्मन निर्गत करने और प्रतिवेदन लेकर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहने के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके विरूद्ध कारण पृच्छा निर्गत करें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध न्यायालय के अवमानना की कार्यवाही आरंभ की जाये और साथ ही साथ उनके विरूद्ध जमानतीय अधीपत्र भी निर्गत किया जाता है। यदि अगली तिथि को वे उपरोक्त प्रतिवेदन लेकर उपस्थित नहीं होंगे तो पुलिस अधीक्षक वैशाली को इस संबंध में सूचित करते हुए अग्रतर कार्यवाही भी की जायेगी। पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार त्रिपाठी देसरी थाना के विरूद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करे। आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली और थानाध्यक्ष देसरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

दिनांक 02.08.2025 साक्ष्य हेतु।

(गौरव कमल)
लेखापित
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय